

(॰ 022-22862703) ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354



## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai - 400 001

No.7/3/2017/IR&W(Vol.II) /6590

मई May**24**, 2018

## कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : कृत्रिम दंतावली (आर्टिफिशियल डेंचरों) की लागत की

प्रतिपूर्ति में वृद्धि के संबंध में

Subject: Enhancement of reimbursement of the cost of artificial dentures

सीएचएसएस के नियम 8.4 के अनुसार, कृत्रिम दंतावली (आर्टिफिशियल डेंचरों) जहां आवश्यक हो, सीएचएसएस नियम के अनुलग्नक II में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार भुगतान किए जाने पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

As per rule 8.4 of CHSS, artificial dentures will be provided, where required, on payment at the rates specified in Annexure-II of the CHSS Rule.

2. इस विभाग में कृत्रिम दंतावली हेतु सीएचएसएस नियमावली के अनुलग्नक-II में विनिर्दिष्ट दरों में संशोधन करने का मामला विचाराधीन रहा है। यह सीएचएसएस के तहत विभिन्न नियमों की वर्तमान में पुनरीक्षा कर रही समिति का विचारार्थ विषय भी रहा। इस समिति ने जहां तक कृत्रिम डेंचरों का संबंध है, सीजीएचएस पैटर्न को अपनाने की सिफारिश की है।

The revision of the rates mentioned in Annexure II of the CHSS Rules for artificial dentures have been under consideration in the Department. This was also one of the terms of reference of the Committee currently reviewing the various Rules under CHSS. The Committee has recommended to follow CGHS pattern so far as artificial dentures are concerned.

3. इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी ने सीजीएसएस के लाभार्थियों के लिए यथानिर्धारित डेंचरों की लागत की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित सीमा के समान ले आने के लिए सीएचएसएस नियमावली के अनुलग्नक II में विनिर्दिष्ट दरों में संशोधन करने हेतु अनुमोदन दिया है। Competent Authority in the Department has approved revising the rates mentioned in Annexure-II of the CHSS Rules to bring it line with the ceilings prescribed for reimbursement of cost of Dentures as prescribed for the CGHS beneficiaries.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg) निदेशक (आईआरएण्डडब्ल्यू) Director (IR&W)

## सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities:

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कल्पाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कल्पाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, ताराप्र Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदरबाद Director, AMD
- (9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCAT
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

## प्रतिलिपि Copy to:

- (1) इकाइयों के सभी प्रमुख All Heads of Units
- (2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE
- (4) अपर सचिव के निजी सचिव, पऊवि PS to AS,DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (6) प्रशासनिक अधिकारी-III, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी. AO-III, BARC Hospital, BARC
- (7) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (8) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE
- (9) सहायक निदेशक (राजभाषा) पऊवि Asst .Director(OL) ,DAE